वित्तीय स्वीकृति

संख्याः—/XVII—2/20—10(70)2018

प्रेषक,

एल.फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी—नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग—2

देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी, 2021

विषयः—वित्तीय वर्ष 2020—21 के आय—व्ययक में दिव्यांग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—2934/स.क./अनु.जा.पू.छात्र./प्रा.धन.अव./2020—21 दिनांक 03 फरवरी, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020—21 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—15 में दिव्यांग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020—21 की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु **₹75,000/— (रुपया पिचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—292/9(150)—2019/XXVII(1)2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा—निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि ऑन लाईन/डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली जायेगी। लाभार्थियों के खाते को आधार नम्बर से लिंक किया जायेगा।
3. छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जाये।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
5. अवमुक्त की गई धनराशि को आहरण वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के आधार पर ही किया जाय।
6. धनराशि व्यय करते समय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. अवमुक्त धनराशि आहरण—वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रत्येक माह आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0—17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उक्त धनराशि का उपभोग कर समयान्तर्गत उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. आवंटित धनराशि का आहरण और व्यय, मासिक अथवा किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाए। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाए और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।

10. बी0एम0–8 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनायें नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाये।

11. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02–समाज कल्याण, 101–दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण, 09–दिव्यांग के लिये छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन के मानक मद 45–छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–22/09(150)2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2021 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।
(एलोटमेंट आई.डी. संख्या–S2/D2015605/दिनांक 26 फरवरी, 2021)

भवदीय,

(एल.फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–210/XVII–2/20–10(70)2018 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–मण्डलायुक्त, कुमायूं नैनीताल/गढ़वाल पौड़ी।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)
4–निदेशक, कोषगार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
5–समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)
6–प्राधिकृत अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
7–वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9–गार्ड फाईल।

25/2/21
(एल.फैनई)
प्रमुख सचिव।